

मध्य प्रदेश शासन  
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति  
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002  
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2022/ 780

दिनांक - 27/7/22

//आदेश//

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा दिनांक 05.07.2022 एवं 22.07.2022 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये उपयोगिता के आधार पर लिये जाने वाले ऐच्छिक शुल्क के विनियमन में पुनरीक्षण किया गया है, जो कि नीचे दी गई तालिका में दर्शित है।

स.क्र.	विवरण	पुनरीक्षित विनियमन की अधिकतम राशि
1	यातायात शुल्क	7500/- प्रति सेमेस्टर (GST अतिरिक्त नियमानुसार)
2	छात्रावास शुल्क	6000/-प्रति सेमेस्टर
3	प्रशिक्षण एवं नियोजन शुल्क	1000/- प्रति सेमेस्टर (अन्तिम वर्ष )

उक्त पुनरीक्षित शुल्क सत्र 2022-23 से लागू होगा।

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2022/

प्रतिलिपि-माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
दिनांक-

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी